



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2019/करौली रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./ 7098
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

दिनांक 11-08-23

विषय:- Diversion of 0.5265 ha. construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/0", District - Karauli (Rajasthan)"
(Proposal No.- FP/RJ/ROAD/35272/2018)

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 14()2019/करौली रोड्स/ एफसीए/5756
दिनांक 24.04.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी जिसके क्रम में आप द्वारा पत्र संख्या 3126 दिनांक 5.7.2023 से प्रेषित पालना का परीक्षण किये जाने पर है निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. Partial Complied. DCF submitted the CA scheme of 670plants but 100 plants are mentioned at top of the scheme. Kindly rectified it with providin KML file.
2. Partial Complied. DCF submitted the copy of notification of forest land of Kota A Forest Block but the villages (pator and Kanwarpur) where the proposed land falling are not covered in Kota A Forest Block. for proposed diversion has not submitted.
3. Partial complied. Justification provided by CCF. As per attached Forest Block Kota A, the proposed forest land (villages e.g. Pator and kanwarpura) are not covered in KOTA A Forest Block. Justification required.

उक्त बिन्दुओं की पालना आपके स्तर, उप वन संरक्षक से किया जाना प्रस्तावित है।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2019/करौली रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./ 7099
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. उप वन संरक्षक, करौली।

दिनांक 11-08-23

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर